दिनांक 15.02.2017 एवं 16.02.2017 को विभागीय सभाकक्ष में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में कृषि निदेशालय, आत्मा योजना एवं भूमि संरक्षण निदेशालय से संबंधित कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

1. कृषि यांत्रिकीकरण :–

1.1 कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल स्वीकृत राशि 17500 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र 1964 लाख रू0 की निकासी कोषागार से की गयी है जो बहुत ही दयनीय है। अभी तक 17 जिलों की प्रगति बहुत ही दयनीय है जिसमें भागलपुर(1.92%), सिवान (1.92%), मुजफ्फरपुर(3.25%), सुपौल(3.34%), मधेपुरा(4.48%), मधुबनी(4.81%), सारण(4.87%), समस्तीपुर(5.18%), मुंगेर(5.24%), बेगूसराय (6.86%), पश्चिम चम्पारण(8.68%), किशनगंज(9.21%), अररिया(9.34%), पूर्णिया(9.37%), बक्सर(9.44%), खगड़िया(9.59%) एवं गोपालगंज(9.64%) जिला शामिल है।

सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर योजना की प्रगति में तेजी लाने एवं सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य एवं जिला कृषि पदाधिकारी)

1.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों एवं सभी परियोजना निदेशक, आत्मा को दिनांक 22–25 फरवरी 2017 को गाँधी मैदान पटना में आयोजित एग्रो बिहार मेला में निर्धारित संख्या में किसानों को लेकर आने तथा सभी कृषकों को उक्त मेला में यंत्र क्रय करने हेतु स्वीकृति पत्र हस्तगत कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा)

1.3 राज्य नोडल पदाधिकारी, यांत्रिकीकरण द्वारा सूचित किया गया कि पम्पसेट एवं HDPE Laminated Woven layflat tubes को छोड़कर शेष कृषि यंत्रों को इस वर्ष वित्तीय अधिसीमा के अन्दर मांग आधारित कर दिया गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र विशेष का ध्यान रखते हुए किसानों की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र वितरित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हरित क्रांति योजना अन्तर्गत कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लक्ष्य को कृषि यांत्रिकीकरण के सॉफ्टवेयर में अविलम्ब डालने का निदेश राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण को दिया गया।

1.5 समीक्षा के क्रम में कतिपय जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर को पुनः 2017–18 में अनुदानित योजना में शामिल करने का सुझाव दिया गया। समयक विचारोपरान्त प्रधान सचिव, कृषि द्वारा निदेश दिया गया कि ट्रैक्टर के साथ चार यंत्रों का एक समूह बनाया जाय जिसमें रोटावेटर, जीरोटिल/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रील, पैडी ट्रांस्प्लान्टर एवं थ्रेसर को शामिल किया जाय और इस शर्त पर ट्रैक्टर पर अनुदान दिया जाय कि ट्रैक्टर वही लोग खरीद सकेंगे जो उक्त चार में से कम से कम दो यंत्र क्रय करेंगे।

(अनु0–कंडिका–1.4 एवं 1.5 राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण)

1.6 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एस0एम0ए0एम0 योजना अन्तर्गत कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की स्वीकृति भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, जहानाबाद, बेगुसराय, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज एवं खगड़िया जिलों में नहीं हो पाई है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को कृषि यंत्र बैंक स्थापित कर राशि व्यय करने एवं गुगल डॉक पर प्रतिवेदन को अपलोड करने का निदेश दिया गया।

1.7 समीक्षा के क्रम में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु उपलब्ध कराई गई राशि से जिन जिलों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया जा चुका है उन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी को अनुदान की राशि का भुगतान कर अभिश्रव की अभिप्रमाणित छायाप्रति अपने परियोजना निदेशक, आत्मा के माध्यम से बामेती कार्यालय में जमा कराने का निदेश दिया गया।

1.8 एस0एम0ए0एम0 योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई फ्लेक्सी फन्ड की राशि को व्यय कर इसकी उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनु0–कंडिका–1.6 से 1.8–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2 <u>जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :–</u>

2.1 इस योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 12977.00 लाख रू0 में से अभीतक मात्र 1876.03 लाख रू0 की निकासी कोषागार से हुई है। CTMIS के अनुसार अभीतक मुजफ्फरपुर, भोजपुर एवं मधुबनी की उपलब्धि 10 प्रतिशत से कम है। सुपौल, सारण, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, बॉका एवं किशनगंज की उपलब्धि 30 प्रतिशत से कम है। इन सभी जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर 30 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी कर लें। अन्यथा वेतन अवरूद्ध करने की कार्रवाई की जायेगी।

2.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गोबर गैस की उपलब्धि अधिकांश जिलों में अच्छी नहीं है। पटना, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, शेखपुरा, जमुई, बॉका, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार में अभी तक वित्तीय उपलब्धि शून्य है। निदेश दिया गया कि गोबर गैस हेतु चयनित एजेंसी से सम्पर्क कर लक्ष्य को पूरा किया जाय। यदि कोई एजेंसी कार्य नहीं कर रहा है, तो इसकी सूचना निदेशालय, को दी जाय। गोबर गैस संयंत्र स्थापना में किसानों से जमीन के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त कर स्वीकृति पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

2.3 जैव उर्वरक वितरण में मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं पूर्णिया को छोड़कर शेष जिलों की उपलब्धि शून्य है। निदेश दिया गया कि गरमा 2017 में जैव उर्वरक वितरण कर के लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त की जाय।

2.4 सूक्ष्म पोषक तत्व में अभीतक नालन्दा, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, गोपालगंज, दरभंगा, बेगुसराय, जमुई, बाँका, किशनगंज, एवं अररिया में उपलब्धि शून्य है।

2.5 निदेश दिया गया कि जिला का लक्ष्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक को बॉट कर कार्य सम्पादित कराया जाय, जो प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों या कृषि समन्वयक अपने लक्ष्य के 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि किये हैं उनका वेतन/मानदेय रोक दिया जाय।

2.6 निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक इस योजनान्तर्गत कार्यान्वित विभिन्न घटकों में लाभान्वितों की संख्या संबंधी प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय तथा लाभान्वितों की सूची विभागीय वेबसाईट पर लोड कर दिया जाय।

(अनु0–कंडिका 2.1 से 2.6–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3 <u>बीज</u>

वर्ष 2016–17 में स्वीकृत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकीट बीज वितरण एवं प्रमाणित बीज कार्यक्रम अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 4825.43 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र 1164.15 लाख रू0 की निकासी कोषागार से की गयी है। कोषागार से निकासी की गयी राशि की स्थिति भोजपुर कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, किशनगंज एवं खगड़िया में बहुत ही दयनीय है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि खरीफ एवं रब्बी में हुई भौतिक उपलब्धि के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर राशि की निकासी कर संबंधित कृषकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4 <u>जिला सिंचाई योजनाः–</u> समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक जिला सिंचाई योजना पटना, जिला से अप्राप्त है। जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को अविलम्ब जिला सिंचाई योजना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कुछ जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अभी तक सी0डी0 उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्हें सी0डी0 में भी जिला सिंचाई योजना सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

5 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

5.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 11775.02 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र 6457.56 लाख रू0 की निकासी की गई है। निकासी की स्थिति भोजपुर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं सुपौल में सी0टी0एम0आई0एस0 के अनुसार कोषागार से निकासी शून्य है। इन जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को दिया गया।

(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, रा0कृ0वि0यो0)

5.2 सूचित किया गया कि विभागीय आवंटन संख्या 177 दिनांक 09.02.2017 द्वारा हरित क्रांति योजना का आवंटन भेजा गया है उसे संशोधित कर संशोधित पत्र भेजा जा रहा है। अतः इस राशि की निकासी अभी नहीं की जाय।

5.3 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपलब्ध कराई गई राशि में से अवशेष राशि को बामेती कार्यालय में शीघ्र वापस करने का निदेश संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

(अनु0–कंडिका 5.2 एवं 5.3–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. अन्न भंडारण राज्य योजनाः– इस योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 499.983 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र 70.015 लाख रू0 व्यय किया गया है। जो बहुत ही दयनीय है। अभी तक मात्र 70.015 लाख रू0 व्यय किया गया है। जो बहुत ही दयनीय है। अभी तक नालन्दा, कैमूर, औरंगाबाद, मुंगेर, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्णिया एवं अररिया में भौतिक उपलब्धि शून्य है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब धातु कोठिला का वितरण कर अनुदान की राशि कृषकों को उपलब्ध कराया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

7. दियारा विकास योजनाः– इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 967.01 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र 285.36 लाख रू0 की निकासी हुई है। अभी तक मुजफ्फरपुर एवं मधेपुरा से निकासी शून्य है तथा भोजपुर, पश्चिम चम्पारण, मुंगेर, लखीसराय एवं सीवान की उपलब्धि दयनीय है। निदेश दिया गया कि इस योजना के मुख्य घटक पी0भी0सी0 पाईप बोरिंग की अविलम्ब उपलब्धि की जाय, ताकि अधिक से अधिक वित्तीय उपलब्धि हो सके।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–

8.1 इस योजना अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि 12635.91 लाख रू0 एवं कुल आवंटित राशि 5758.34 लाख रू0 में से सी0टी0एम0आई0एस0 के अनुसार अभी तक मात्र 2775.84 लाख रूपये की निकासी कोषागार से की गई है। अभी तक भोजपुर, कैमूर, शेखपुरा, जहानाबाद, सारण, गोपालगंज, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं सुपौल में निकासी शून्य है। इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी रा0खा0सु0मिशन को दिया गया।

(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0)

8.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित किये गये भौतिक उपलब्धि के अनुसार कोषागार से राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।

8.3 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि रा0खा0सु0मि0 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से पूर्व का फसलवार जिला में अवशेष राशि, वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराई गई राशि एवं कितनी राशि की आवश्यकता है, इसका प्रतिवेदन भेज दें ताकि जिला को द्वितीय किस्त का आवंटन भेजा जा सके।

8.4 निदेश दिया गया कि बीज वितरण मद में व्यय की गई राशि की निकासी कोषागार से कर ली जाय। सूचित किया गया कि चावल योजना में हाईब्रीड धान, कोर्स सिरीयल योजना में हाईब्रीड मक्का तथा दलहन योजना में राज्य योजना से टॉप–अप राशि का आवंटन किया गया है। यदि किसी जिला में उपलब्धि अधिक हुई है तो राशि की मांग करें ताकि दूसरे किस्त के आवंटन में राशि दी जा सके।

(अनु0–कंडिका 8.2 से 8.4–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)